

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 59/2024

प्रार्थी अंजु भंसारी वगैरह  
बनाम अप्रार्थी सरकार  
अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/5/2024

प्रार्थीगण अंजु भंसाली पत्नि श्री उपेन्द्र भंसाली जाति ओसवाल निवासी 72 भगत की कोठी विस्तार योजना जोधपुर एवं अन्य ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा नम्बर 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 76/4, 56/5, 76, 76/3, एवं 76/1 की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खातेदार है। भू-नक्शा पोर्टल पर प्रार्थीगण के मौके व रेकॉर्ड के विपरित तरमीम दर्ज कर दी गई हैं। जिसे सही करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर करवाई गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक भूअ./2024/1400 दिनांक 09.05.2024 के जरिये जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा नम्बरान् 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 76/4, 56/5, 76, 76/3, एवं 76/1 की तरमीम डीआईएलआरएमपी के तहत लिपिकीय त्रुटिवश मौके एवं रेकॉर्ड से भिन्न दर्ज होना बताया गया तथा प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती का नजरी नक्शा अनुसार करने की रिपोर्ट पेश की गई। उपरोक्त खसरान् की लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम अस्पष्ट एवं अपठनीय होना बताया गया।

उक्त रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी मोगडा कलां की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 के अनुसार ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा नम्बरान् 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 76/4, 56/5, 76, 76/3, एवं 76/1 एक दुसरे के पास-पास में स्थित है। इन खसरान् की भू-नक्शा पोर्टल पर दर्ज तरमीम रेकॉर्ड एवं मौके अनुसार नहीं हैं। मौके एवं रेकॉर्ड अनुसार सभी प्रभावित खातेदारों ने तरमीम दुरुस्ती करने में सहमति प्रदान की। उक्त खसरों की



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

लट्ठा नक्शा में तरमीम की हुई नहीं हैं। उपरोक्त खसरान् की लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम अस्पष्ट एवं अपठनीय होना बताया गया।

अतः इसी आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि माफिक हल्का पटवारी मोगडा कलां की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 में प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती प्रस्तावित नजरी नक्शों एवं वर्तमान जमाबंदी में रकबे अनुसार ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा नम्बरान् 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 76/4, 56/5, 76, 76/3, एवं 76/1 की तरमीम दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त रिपोर्ट इस निर्णय का अंग शुमार हो। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।



(पुखराज कांसोटिया)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी